



निगरानी प्रकरण क्रमांक. .... / 2013-14  
प्रस्तुति दिनांक / / 2013

### रा.रा. श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प इंदौर (म.प्र.)

मोती लाल पिता स्व. श्री हीरालाल जी कौशल  
आयु- 69वर्ष, बंधा-सेवानिवृत्त,  
निवासी-168, ग्राम किशनगंज, तह महु, जिला इंदौर म प्र ..... प्रार्थी/निगरानीकर्ता

#### विरुद्ध

म. प्र. सडक विकास निगम लि, तर्फे संभागीय प्रबंधक  
संभाग क्र 1, इंदौर, ऑ-पी डब्ल्यू डी ऑफिस कैम्पस,  
नवनीत टॉवर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड,  
ओल्ड पलासिया, इंदौर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

श्री ~~महेश्वर कश्यप~~  
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 24/11/13  
को प्रस्तुत

872/2-11-2013

.....प्रतिप्रार्थी/उत्तरार्थी

#### निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से सादर निवेदन है कि :-

यह कि, निगरानीकर्ता के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, इन्दौर जिला इन्दौर (म. प्र.) पीठासीन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी साहब के द्वारा प्रकरण क्र. /अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2013 से व्यथित हो यह निगरानी निम्न एवं अन्य अनेकानेक विधिक आधारों पर निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है कि -

#### प्रकरण के तथ्य

1. यह कि प्रतिप्रार्थी द्वारा निगरानीकर्ता के स्वमित्व एवं आधिपत्य का मकान ग्राम किशनगंज, महु जिला इन्दौर जो कि पूर्व आगरा-बाम्बे रोड एन.एच.-3, के समीप स्थित है, के संदर्भ से एक सूचना-पत्र क्रमांक 2158/राउ-महु-मण्डलेश्वर/म प्र स वि नि/2012, इंदौर, दिनांक 28/12/2012 का सूचना-पत्र म प्र राज्यमार्ग अधिनियम 2004 की धारा 34(1) के अंतर्गत तथाकथित अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने बाबद प्रेषित किया गया था जबकि निगरानीकर्ता द्वारा कोई अवैध निर्माण कार्य कर अपना मकान निर्मित नहीं किया है ना ही किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया है और ना ही पूर्व में ऐसा कोई सूचनापत्र निगरानीकर्ता को प्राप्त हुआ है। उक्त सूचनापत्र निगरानीकर्ता को दिनांक 18/01/2013 को प्राप्त हुआ है। जिससे परिवेदित हो निगरानीकर्ता के द्वारा समयावधि में दिनांक 24.01.2013 को श्रीमान कलेक्टर महोदय, इंदौर मप्र के समक्ष एक अपील अंतर्गत धारा - 35 म प्र राजमार्ग अधिनियम 2004 के तहत अपने मकान की भूमि के स्वामित्व का दावा करते हुए प्रस्तुत की गई।

2. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, इंदौर म प्र के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने के पूर्व प्रतिप्रार्थी/रेस्पॉन्डेंट के उक्त सूचना-पत्र का समुचित प्रतिरक्षण करते हुए अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त सूचनापत्र का उत्तर दिनांक

R-4551-11/13  
अपील नम्बर  
व्याज दिनांक  
27/11/13  
अ. प्र.  
27/11/13

मान. पीठासीन अधिकारी  
के आदेश दि. 29/11/13  
द्वारा प्रेषित सूचना  
म.प्र. राज्यमार्ग अधिनियम  
2004 के अंतर्गत  
श्री शक्ति कास  
द्वारा जमा

अवर सचिव, राजस्व मण्डल  
ग्वालियर (म.प्र.)





29.04.2014

आवेदक की ओर से श्री  
 अरवि कुमार शर्मा आभिलाषक उपस्थित।  
 उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत  
 कर प्रकल्प सशम-आयाज्य में  
 प्रस्तुत करने हेतु कार्रवाई किये  
 जाने का अनुरोध किया गया।  
 अनुरोध स्वीकार किया जाता है।  
 इस प्रकल्प में कोई कार्यवाही  
 प्रकल्प कार्रवाई किये जाने के कारण  
 शेष रही होने से समाप्त  
 किया जाता है।

श्री. अरवि 5891  
 29/4/14  
 स. अ. अ. 150/14

Dr.  
 अरवि

राज्यपाल सत्य प्रतिलिपि

अवर सचिव, राजस्व मण्डल  
 ग्वालियर (म.प्र.)